

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

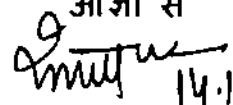
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 178 /2020

दिनांक : 14.01.2020

श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा (RJ0289), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा को दिनांक 02.12.2019 से 07.12.2019 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 01.12.2019 एवं 08.12.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री मिश्रा की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-01, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

14.1.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/92/1996/ 309

दिनांक : 14.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा को उनके पत्रांक 593 दिनांक 09.12.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा (RJ0289), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा।
4. विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-01, कोटा।


14.1.2020
सहायक रजिस्ट्रार